दिनांक–21.01.2021 को पूर्वाहन् 11:00 बजे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की 398वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग –सह–अध्यक्ष बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड — अध्यक्ष

2. उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना — सदस्य

3. सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना — सदस्य

4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना — सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :–

5. राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
राज्य कार्यालय–बी0 भी कॉलेज, शेखपुरा, पटना

| क्र0 | बैठक में रखे गये प्रस्ताव | बोर्ड का निर्णय |
|---|---|---|
| 1. | गत बैठक में लिये गये निर्णय को संपुष्ट करना। | कंडिका–4 के एक अंश एवं 5 को छोड़कर गत बैठक की कार्यवाही संपुष्ट की गई।<br><br>कंडिका–4 के अंश में निविदा के माध्यम से संस्थान/एजेन्सी को सूचीबद्ध कर गारमेन्टस स्टीचींग के दर निर्धारण के मामले में यह निर्णय लिया गया कि खादी के संबंधित संस्था/समिति को बोर्ड में बुलाकर गारमेन्ट स्टीचींग पर चर्चा किया जाय, तदोपरान्त सम्यक विचारोंपरान्त दर का निर्धारण किया जाय।<br><br>कंडिका–5 सूचीबद्ध एजेन्सी Manpower Provider Agency से खादी मॉल में कार्य लिया जा रहा है की सेवा विस्तार मार्च, 2021 तक करने का निर्णय लिया गया। निविदा प्रक्रिया अपनाकर Manpower खादी मॉल हेतु लेने का निर्णय लिया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | बिहार राज्य अवस्थित खादी संस्था/ समितियों में कार्यरत कत्तिनों/ बुनकरों को सम्मान पुरस्कार राशि की योजना की स्वीकृति। | संलेख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 4. | खादी संस्था/समितियों को खादी प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन की योजना। | KVIC से विचारोंपरान्त PMA के द्वारा प्रस्तुतीकरण देने का निर्णय लिया गया। |
| 5. | ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना। | संलेख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 6. | खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत राज्य के खादी संस्था/समिति को रेशमी उत्पादन कार्य हेतु कटिया चरखा उपलब्ध कराने की योजना। | संलेख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 7. | खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत राज्य के खादी संस्था/समिति को 08 तकुआ न्यू मॉडल चरखा सूती उत्पादन कार्य हेतु उपलब्ध कराने की योजना। | संलेख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 8. | बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पूर्णियां का कार्यालय के खाली भू-भाग पर मॉल निर्माण का कार्य प्रारंभ कर प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की योजना। | IDA के द्वारा प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया। |
| 9 | बोर्ड के विभागीय मंगलोर टाईल्स उत्पादन केन्द्र, सारामोहनपुर, दरभंगा (बन्द) स्थित तालाब को मछली पालन हेतु बंदोवस्त की योजना। | संलेख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 10 | घुँघरीटाड़ (गया) अवस्थित बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जमीन पर खादी पार्क के निर्माण कार्य करने की योजना। | IDA के द्वारा प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया। |
| 11 | बोर्ड पैनल के अधिवक्ताओं को दैनिक शुल्क की राशि वृद्धि करने की स्वीकृति देना। | संलेख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का संचालित बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहारिक राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने एवं अनावश्यक बैंक खाता को बंद करने के संबंध में। | वित्त विभाग के पत्रांक–2575 दिनांक–14.05.2020 एवं विभागीय पत्रांक–1380 दिनांक 20.05.2020 में निहित निदेश के अनुपालन से बोर्ड को अवगत कराया गया। |
| 13 | बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नव–निर्मित खादी मॉल में कार्यबल Manpower Provider Agency की सेवा विस्तार के संबंध में। | मार्च, 2021 तक वर्त्तमान कार्यबल से खादी मॉल में कार्य लेने तथा इसके पूर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर Manpower Provider Agency से सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया साथ ही खादी मॉल में Out Sourcing से नियुक्त हेतु चिन्हित पदों के शैक्षणिक अहर्त्ता निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। |
| 14 | बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी मॉल, पटना द्वारा बिहार खादी के ऑन–लाईन शॉपिंग पोर्टल के सुचारू संचालन की स्वीकृति के संबंध में। | सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।<br>संलेख के कंडिका–1 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई एवं अंतिम कंडिका पर अंकित Online Marketing एवं Photoshoot Digital Marketing के मद में मात्र रू0–50,000 प्रतिमाह एवं रू0–25,000 प्रतिमाह व्यय करने के बिहार Financial Rules के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई।<br>ऑन लाईन शॉपिंग पोर्टल के सफल संचालन हेतु PMA के द्वारा प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया। |
| 15 | वित्तीय वर्ष 2020–21 अंतर्गत योजना मद में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी मॉल, पटना के सुचारू संचालन वास्ते Revolving Fund की राशि 3.00 (तीन करोड़) मात्र उपलब्ध कराने के संबंध में। | PMA के द्वारा प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया। |
| 16 | खादी मॉल, पटना द्वारा सरकारी विभाग को No Profit & No Loss के आधार पर की गई गमछा की बिक्री के संबंध में। | प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 17 | नव–निर्मित खादी मॉल, पटना के प्रचार–प्रसार में हुए खर्च के संबंध में। | प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |

सुरेश

| 18 | अन्यान्य | |
|---|---|---|
| क | भागलपुर जिला अन्तर्गत दरियापुर में कॉमन फैसलिटि सेन्टर पर विचार–विमर्श करने हेतु। | विस्तृत समीक्षा हेतु अलग से बैठक करने का निर्णय लिया गया। |
| ख | संजीव कुमार मल्लिक, विधि सहायक, खादी बोर्ड, पटना को मार्ग व्यय के रूप में मासिक 900/–(नौ सौ रूपये) मात्र भुगतान की स्वीकृति हेतु। | प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| ग | PMA के एकरारनामा एवं कार्यकलाप के संबंध में विमर्श। | PMA के पूर्ण कार्य–कलाप एवं आगामी कार्य–कलाप के संबंध में फरवरी के प्रथम सप्ताह में समय निर्धारित कर प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया। |
| घ | | खादी, हैन्डलूम एवं पावरलूम से बने वस्त्रों को School Uniform के मामले में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु PMA को प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया। |

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

**अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग–सह–**
**अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड**

**ज्ञापांक–** प्र०/ 94 **पटना, दिनांक–** 05-02-2021

**प्रतिलिपि :–** अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, बी0भी0 कॉलेज, शेखपुरा, पटना/सचिव के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/G.T India LLP Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2021
**मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**
**बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड**